



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 6, शुक्रवार, शाके 1939—जुलाई 28, 2017  
Sravana 6, Friday, Saka 1939—July 28, 2017

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय जोधपुर नगर निगम

अधिसूचना

जोधपुर, जुलाई 10, 2017

संख्या 403 :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर नगर निगम एतद्वारा जोधपुर नगर निगम द्वारा (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम 2015, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

जोधपुर नगर निगम (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम 2015 में संशोधन

जोधपुर नगर निगम (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम 2015 की अधिसूचना दिनांक 12.02.2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. जोधपुर नगर निगम (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम 2015 की तालिका संख्या 1 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार योजना क्षेत्र में भी स्टील्ट पार्किंग देय होगी।
2. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के तालिका संख्या 1 के बिन्दु संख्या (VIII) में शास्त्रीनगर सेक्टर A,B,C,D,E के बाद F,G,H को जोड़ा जाता है G+2 के लिए सड़क की चौड़ाई 40 फीट होना अनिवार्य है।
3. प्रतापनगर ओटोमोबाईल योजना की टाईप डिजाईन जी+एम+1 के स्थान पर जी+2 की जाती है। भवन की ऊँचाई मूल टाईप डिजाईन में निर्धारित सीमा तक ही रहेगी। नियमानुसार बेटरमेंट लेवी वसुलनीय होगी।
4. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 की तालिका 4 के नीचे अंकित नोट के पश्चात् निम्नलिखित विशेष विवरण जोड़ा जाता है :-

विशेष विवरण - शहर परकोटे के भीतर मास्टर प्लान अनुसार जिन भूखण्डों पर भू-उपयोग व्यवसायिक आरक्षित है उनमें सड़कों की चौड़ाई अनुसार भवन की ऊँचाई निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(अ) 30 फीट से अधिक परन्तु 40 फीट तक चौड़ी सड़कों पर G+2

(ब) 20 फीट से अधिक परन्तु 30 फीट तक चौड़ी सड़क पर G+1

(स) 20 फीट तक चौड़ी सड़कों पर केवल भूतल

उपरोक्त में पार्किंग की कमी शुल्क 5,00,000 रुपये प्रति ई.सी.यू. देय होगा।

5. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 6.5.4 के अन्तिम लाईन में "व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन केवल 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अनुज्ञेय होगा" अंकित है। "40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों" के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। "व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन 40' व 40' से अधिक सड़क पर अनुज्ञेय होगा"।
6. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 9.7.5 को विलोपित किया जाता है।
7. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 10.1.6 को विलोपित किया जाता है।
8. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 10.1.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-  
10.1.9 - वाहनों की अधिक से अधिक पार्किंग भूखण्डों के अन्दर उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेसमेन्ट में तथा स्टील्ट पर मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय होगी। सभी सैट बैक में मैकेनिकल कार पार्किंग तभी देय होगी जब न्यूनतम सैट बैक 9.0 मीटर का हो तथा मैकेनिकल कार पार्किंग लगाने के बाद 3.6 मीटर का स्पष्ट गलियारा बना रहे। कुल पार्किंग का अधिकतम 25 प्रतिशत मैकेनिकल पार्किंग के रूप में अनुज्ञेय होगा। मैकेनिकल पार्किंग हेतु ई.सी.यू. की गणना बिन्दु संख्या 10.1.2 के आधार पर की जायेगी।
9. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 18.5 के दूसरे पैराग्राफ में निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :-  
सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच में मानचित्र व साईट के भौतिक माप अथवा स्थिति में अन्तर पाये जाने की स्थिति में पंजीकृत तकनीकविद् का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर अमानत राशि को जब्त किया जा सकता है।
10. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 के नियम 18.3 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-

18.3.2- 18.2 को 18.2.v पढ़ा जावे।

18.3.3- 18.2(i),(ii),(iii) व (iv) के स्थान पर 18.2 (vi), (vii) व (viii) पढ़ा जावे।

11. जोधपुर नगर निगम, (नगरीय क्षेत्र, भवन) उपविधि 2015 में भवन निर्माण संबंधी दरें निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

### भवन निर्माण संबंधित दरें

भवन उपविधि 2015 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा, अधिवास प्रमाण पत्र, मलवा आदि शुल्क

1. आवेदन शुल्क:-

(क) 500 वर्ग गज तक के सभी प्रकार के भूखण्ड- रु. 500/-प्रति पत्रावली

(ख) 500 वर्ग गज तक से बड़े सभी प्रकार के भूखण्ड- रु.1000/-प्रति पत्रावली

2. जाँच शुल्क:-

(क) 500 वर्ग गज तक के सभी प्रकार के भूखण्ड रु. 500/-एकमुश्त

(ख) 500 वर्ग गज से बड़े सभी प्रकार के भूखण्ड- रु.1000/-एकमुश्त

3. उप विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु शुल्क :-

(क) उपविभाजन हेतु निम्न राशि देय होगी :-

रु. 50/-प्रति वर्गमीटर (स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल पर)

(ख) पुनर्गठन हेतु निम्न राशि देय होगी :-

रु. 100/-प्रति वर्गमीटर (स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल पर)

4. वर्षा के जल संरक्षण की संरचना के लिये अमानत राशि जमा करानी होगी वो निम्न हैं :-

(क) 300 से 1000 वर्गमीटर तक - रु. 35,000/-

(ख) 1000 से अधिक परन्तु 2500 वर्गमीटर तक - रु. 45,000/-

(ग) 2500 से अधिक परन्तु 5000 वर्गमीटर तक - रु. 55,000/-

(घ) 5000 से बड़े प्लॉट पर - रु. 1,00,000/-

5. 5000 वर्ग गज से बड़े प्लॉट पर :-

पलेट/ग्रुप हाऊसिंग में स्नानघर व रसोई के अवशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) की शुद्धकरण हेतु।

रि-साईकिलिंग की व्यवस्था के लिये संरचना

बनाने की अमानत राशि

- रु.. 1,00,000/-

6. अधिवास प्रमाण शुल्क :-

सभी बहुमंजिला भवनों (15मीटर से अधिक) के लिये कार्य पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।

7. आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मानचित्र पुनः संशोधित अथवा नवीनीकरण कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो आवेदन शुल्क, मलवा शुल्क व निर्माण अनुज्ञा शुल्क लेकर अनुमोदित किये जा सकते हैं।

8. चैरिटेबल संस्थाएँ जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान है यथा वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम/आवास, रैन-बसेरा, गूंगे-बहरों/मानसिक, अशक्त/विकलांगों हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थान आदि में अनुमोदन शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकेगी।

9. पंजीकृत वकील द्वारा स्वामित्व के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदक से निम्न प्रकार शुल्क लिया जा सकता है:-

(क) 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिए

- रु. 500/-

(ख) 500 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय भूखण्ड

- रु. 1000/-

(ग) 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय से भिन्न भूखण्ड

- रु. 1000/-

(घ) 500 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय से भिन्न भूखण्ड

- रु. 2000/-

10. भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क अधिवास प्रमाण-पत्र एवं मलबा शुल्क एवं विकास रख-रखाव शुल्क :-

(क) आवासीय निर्माण

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	रु. प्रति वर्गगज एफएआर में गणना योग्य प्रस्तावित क्षेत्रफल पर देय		मलबा शुल्क (एकमुश्त)	विकास/संधारण शुल्क वर्ग गज में	धरोहर राशि
		अनुज्ञा शुल्क	अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क			
1.	200 वर्ग गज तक	10	10	1000	25	1500
2.	201 से 300 वर्ग गज तक	20	20	2000	30	2000
3.	301 से 500 वर्ग गज तक	25	25	3000	40	3000
4.	501 से 1000 वर्ग गज तक	50	30	5000	60	5000
5.	1000 से अधिक	75	50	10000	80	10000
6.	बहुमंजिला इमारतें	100	50	20000	100	20000

(ख) व्यवसायिक निर्माण/संस्थागत/औद्योगिक निर्माण

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	रु. प्रति वर्गगज एफएआर में गणना योग्य प्रस्तावित क्षेत्रफल पर देय		मलबा शुल्क (एकमुश्त)	विकास/संधारण शुल्क वर्ग गज में	धरोहर राशि
		अनुज्ञा शुल्क	अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क			
1.	100 वर्ग गज तक	25	25	2000	40	2000
2.	101 से 200 वर्ग गज तक	40	50	5000	50	5000
3.	201 से 500 वर्ग गज तक	60	60	10000	75	10000
4.	501 से 1000 वर्ग गज तक	100	75	20000	100	20000
5.	1000 से अधिक	125	100	30000	125	30000

12. बहुमंजिला भवनों हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान, ग्रीनरी एवं प्लान्टेशन/पार्किंग प्रावधान हेतु अमानत राशि—:

क्र.सं.	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	अमानत राशि (रुपये)
1.	500 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 750 वर्ग मीटर तक	8 लाख
2.	750 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 1000 वर्ग मीटर तक	10 लाख
3.	1000 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 2500 वर्ग मीटर तक	12 लाख
4.	2500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 4000 वर्ग मीटर तक	15 लाख
5.	4000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 10,000 वर्ग मीटर तक	22 लाख
6.	10,000 वर्ग मीटर से अधिक	30 लाख

13. जोधपुर नगर निगम (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम, 2015 के नियम 6.5 के बिन्दु संख्या 3 के अन्तिम से पहले का पैराग्राफ जो निम्नानुसार है—

एफ.ए.आर की पालना क्षेत्रफल से संबंधित तालिकानुसार की जावेंगी।

उक्त पैराग्राफ को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है—

उक्त सभी क्षेत्र के व्यावसायिक भूखण्डों की मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 होगी। 1.33 से अधिक तथा 2.25 एफ.ए.आर. तक बेटरमैन्ट लेवी नियमानुसार वसूलनीय होगी। उक्त सभी क्षेत्र के रहवासीय भूखण्डों की अधिकतम एफ.ए.आर. 2.25 तक अनुज्ञेय होगी।

घनश्याम औझा  
महापौर  
नगर निगम, जोधपुर।

ओमप्रकाश कसेरा  
आयुक्त  
नगर निगम, जोधपुर।